बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–32/2018– 4047 /कृ0,पटना, दिनांक 29/11/,2018
प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों हेतु कुल 423.80 लाख रूपये (चार करोड़ तेईस लाख अस्सी हजार रूपये) की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों हेतु कुल 351.85 लाख रूपये (तीन करोड़ इक्यावन लाख पचासी हजार रूपये) {केन्द्रांश 211.11 लाख रूपये (दो करोड़ ग्यारह लाख ग्यारह हजार रूपये) एवं राज्यांश 140.74 लाख रूपये (एक करोड़ चालीस लाख चौहतर हजार रूपये)} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों हेतु कुल 423.80 लाख रूपये (चार करोड़ तेईस लाख अस्सी हजार रूपये) की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों हेतु कुल 351.85 लाख रूपये (तीन करोड़ इक्यावन लाख पचासी हजार रूपये) {केन्द्रांश 211.11 लाख रूपये (दो करोड़ ग्यारह लाख ग्यारह हजार रूपये) एवं राज्यांश 140.74 लाख रूपये (एक करोड़ चालीस लाख चौहतर हजार रूपये)} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2018–RKVY दिनांक–14.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 121.43 करोड़ रू० (सामान्य 81.77 करोड़, अनुसूचित जाति 36.46 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति 3.20 करोड़) उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–4065 दिनांक–30.07.2018 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश मद में कुल 49.23 करोड़ रू० (सामान्य 33.15 करोड़, अनुसूचित जाति 14.78 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति 1.30 करोड़) कर्णांकित किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत केन्द्रांश मद में उद्व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2018–RKVY/1 दिनांक–07.09.2018 द्वारा सामान्य के लिए 40.89 करोड़ रू०, भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2018–RKVY/2 दिनांक–07.09.2018 द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 18.23 करोड़ रू० एवं भारत सरकार के पत्रांक–1--4/2018–RKVY/3 दिनांक–07.09.2018 द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए 1.60 करोड़ रू० कुल 60.72 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों का मदवार/वर्षवार विवरण निम्न है :–

क्र०	कार्यक्रम	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)		
		2018–19	2019–20	कुल
1.	कतरनी चावल का विकास	305.90	67.90	373.80
2.	पोषकतत्व युक्त विभिन्न अनाजों के उत्पाद हेतु विकास एवं मानकीकरण के लिए अवरोधक तकनीक का प्रयोग	45.95	4.05	50.00
	कुल	351.85	71.95	423.80

5. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों का मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

6. **कतरनी चावल का विकास** :– उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य कतरनी धान का गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन करना, कतरनी के जैविक खेती एवं प्रबंधन को मानकीकृत (Standardize) करना, कतरनी में सुगंध के विकास में भूमि और जलवायु के कारकों की भूमिका की जाँच करना एवं कतरनी का लोकप्रियकरण करना है। कतरनी चावल के जीआई टैग को पाने हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी सुविधा प्रदान की गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कतरनी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भविष्य में किसानों के बीच में शुद्ध बीज की आपूर्ति बनाई रखी जाएगी । उक्त कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, किसान चौपाल, वीडियो फिल्म इत्यादि के माध्यम से कतरनी चावल के बाजार प्रोत्साहन के रास्ते, ब्रांडिंग और विस्तार के लिए कार्य किया जायेगा। कतरनी चावल के विकास से कतरनी चावल के प्रबंधन को मानकीकृत (Standardize) करने मे मदद मिलेगी। कतरनी चावल के सुगंध में भूमि और जलवायु के कारकों की भूमिका के प्रलेखन (documentation) करने मे मदद मिलेगी। कतरनी धान का गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन किया जाएगा तथा इसके व्यवसायीकरण में दुरूपयोग, नकली या जालसाजी की जांच के लिए DNA Fingerprinting की मदद ली जाएगी। कतरनी चावल के वाणिज्यिक मूल्य को बढ़ाने के लिए इसे प्राप्त जीआई टैग का उपयोग कर इसके उत्पादक/हितधारको को निर्यात हेतु विदेशी और घरेलू बाजार में हस्तक्षेप करने का प्रशिक्षण मिलेगा जो किसानों को मौद्रिक लाभ प्राप्त कराने के लिए उपयोगी होगा। कतरनी चावल बिहार राज्य की प्रतिष्ठा और ब्रांड के रुप में विकसित करने में मदद मिलेगी। योजना की विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

7. **पोषकतत्व युक्त विभिन्न अनाजों के उत्पाद हेतु विकास एवं मानकीकरण के लिए अवरोधक तकनीक का प्रयोग** :– उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य अनाज और अनाजों पर आधारित उत्पाद के पोशकतत्व की रूपरेखा का निर्धारण करना, स्नैक्स, दलिया, ब्रेड और पास्ता उत्पाद में अतिरिक्त पोशणतत्व डालकर खाद्य पदार्थ खराब होने की जोखिम को कम करने के लिए अवरोधक तकनीकी विधि का मानकीकरण करना, भंडारण के समय भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म जैविक गुणों का निर्धारण करना एवं प्रशिक्षण द्वारा अवरोधक तकनीक को उद्यमीयों तक पहुँचाना हैं। उक्त तकनीक के प्रयोग से किसानों के उत्पाद को औद्योगिक/निर्माणकर्ता के लिए सीधी श्रृंखला बनेगी। मिश्रण के दौरान अनाज फसलों के विभिन्न संयोजक के अनुकूलित रियोलोजिकल व्यवहारिक आँकड़ा प्राप्त होगी। लम्बी जीवावधि के लिए अनाज उत्पादों की तैयारी होगी और उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी की जानकारी होगी। अनाज उत्पादों में पोषक तत्वों के रूप में फल और उनके अपशिष्ट का उपयोग होगा। बाजार में पौष्टिक रूप से मजबूत उत्पादों को उपलब्ध कराया जायेगा। उपभोक्ता के बीच छिपे कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगा। उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा और नये उद्यमियों को प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जायेगा। कुशल और अर्द्धकुशल जनशक्ति का विकास और इस प्रकार रोजगार पैदा होगा और खाद्य उद्योगों को एफ॰ एस॰ एस॰ ए॰ आई॰ मानदंडों को पूरा करने में सहायता मिलेगा। योजना की विवरणी अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 20.08.2018 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. अनुसूची–1 के अनुसार स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा संबंधित कोषागार से कर नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अंकेक्षित लेखा विवरणी प्रस्तुत किया जायेगा।

11. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा।

12. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू0 में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0216– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–1–2401001090216, विषयशीर्ष–31 – सहायता अनुदान–0216.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	11205.00	142.16147
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्र कोड –1–2401007890203 , विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0203.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2160.00	63.37522
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड –1–2401007960231, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0231.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	135.00	5.57331
	योग	13500.00	211.11
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–1–2401001090316, विषय शीर्ष– 31–सहायता अनुदान–0316.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	7470.00	94.77431
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०),विपत्र कोड–1– 2401007890303, विषय शीर्ष– 31–सहायता अनुदान–0303.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1440.00	42.25015
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–1–2401007960331, विषय शीर्ष– 31–सहायता अनुदान–0331.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	90.00	3.71554
	योग	9000.00	140.74
	सकल योग	22500.00	351.85

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि0 दिनांक–31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–32/2018 के पृ0सं0–06/टि. पर दिनांक–02.11.2018 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–रा०कृ०वि० यो०को०–32/2018 के पृ0सं0–07/टि. पर दिनांक–20.11.2018 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–214 दिनांक–19.11.2018 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 27.11.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 4047 /कृ0, पटना दिनांक 29/11/, 2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4047 /कृ0, पटना, दिनांक 29/11/, 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 27.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4047 /कृ0, पटना, दिनांक 29/11/, 2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 27.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4047 /कृ0, पटना, दिनांक 29/11/, 2018

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, E-com Dash Board, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

Rabindra 27.11.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।